2/ahes

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– रीडर / विविध / 2019 / 882 दिनांकः 3-3-20

राजस्व अपीलीय अधिकारी
चित्तौड़गढ़

विषयः– पत्रावलियां पुनः भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 04.02. 2020 से निम्नांकित पत्रावलियॉ स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

क्र.स.	अपील संख्या	उनवान	अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक
1	191 / 2020	मैसर्स टांक कन्स्ट्रक्शन बनाम अधि. अभियन्ता	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ दिनांक 23.03.2015 under PDR Act 1952
2	04 / 2020	श्री हरिकिशन बनाम मुख्य प्रबन्धक, राज.रा.प.प.नि.लि.	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ दिनांक 24.07.2018 under PDR Act 1952

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेशों के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–23ए पी.डी.आर.एक्ट, 1952 प्रस्तुत की गई।

राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम–1952 (PDR Act) की धारा–23ए अनुसार

(A) (i) An appeal from an order made by the collector under section 8 or 10 or section 19(A) shall lie to the R.A.A.

उपरोक्त प्रावधानों में जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जानी वाली अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित राजस्व अपील अधिकारी को प्रदान किया गया। न ही उक्त अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 से राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम–1952 के तहत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्रदान किया गया है। अतः प्रेषित अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई उक्त पत्रावलियां मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां पुनः आपकों लौटाई जा रही है। कृपया पावती से अवगत करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, उदयपुर–313001, फोन, 0294–2420064, 2420237, 2427004, फेक्सः 0294–2526918, ईमेलः divcomm-udai-rj@nic.in

Scanned with CamScanner